न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

नजरसानी प्रा. पत्र संख्याः 10/2025 अंतर्गत धारा 86 एल.आर.एक्ट

GCMS No.–

1. नगर परिषद सरदारशहर जरिए आयुक्त, नगर परिषद सरदारशहर जिला चूरू।

––अपीलांट

बनाम

1. शाहजहां खान पुत्र इकबाल खां जाति कायमखानी निवासी बजरांगसर, तहसील सरदारशहर हाल तहसील भानीपुरा जिला चूरू।
2. काफीया बानो पत्नी युसुफ अली खान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 24, सरदारशहर, जिला चूरू।
3. हनुमानमल पुत्र सीताराम जाति नाई निवासी बुकनसर बड़ा, तहसील भानीपुरा, जिला चूरू।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू।
5. श्रीमान् उप पंजीयक (तहसीलदार) महोदय, सरदारशहर।
6. श्रीमान् भूमि सेटलमैंट ऑफिसर, सीकर।

–रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री ओमप्रकाश चांडक – अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक 05.01.2026

यह नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत नजरसानी आदेश दिनांक 06.11.2025 में अंकित निर्देश "वनाये रखने यथास्थिति" को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

1– अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा इस न्यायालय में पेश अपील के पोषणीय/संधारण योग्य नहीं होने बावत प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र प्रार्थी नगर परिषद द्वारा पेश किया गया, जिस पर विस्तृत बहस उपरान्त इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2025 द्वारा अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दी गई। इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 06.11.2025 में अंकित यथास्थिति बनाये रखे जाने के निर्देश से व्यथित होकर अभिभाषक प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के आदेश क्रमांक का/भूप्रअसी/समु./सीमाज्ञान/2025/2216 दिनांक 08.08.2025 की पालना में भू–प्रंबंध विभाग, राजस्व विभाग एवं नगर परिषद सरदारशहर की 12 सदस्यी विशिष्ट संयुक्त टीम द्वारा नगर परिषद की भूमि की गई पैमाईश की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.08.2025 के विरूद्ध अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील अनवानी शाहजहां आदि बनाम श्रीमान् जिला कलक्टर चूरू अपील संख्या 181/2025 पेश की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील के पोषणीय/संधारण योग्य नहीं होने बाबत प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र प्रार्थी नगर परिषद द्वारा पेश किया गया, जिस पर जवाब अपीलांट के पश्चात् विस्तृत बहस उपरांत न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 06.11.2025 द्वारा अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दी गई। उक्त आदेश द्वारा अपील खारिज फरमा दी जाने के पश्चात् भी निर्णयाधीन विषय "अपील की पोषणीयता" से बाहर जाकर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त निर्देश की आड़ में प्रार्थी नगर परिषद की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आदेश दिनांक 06.11.2025 में प्रदत्त यथास्थिति निर्देश खिलाफ विधि, विधिक प्रक्रिया एवं विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी में प्रदत्त किये गये होने के कारण पुनर्रावलोकित किये जाने योग्य है। वरवक्त निर्णय न्यायालय हाजा के समक्ष विचारणीय विषय अपील की पोषणीयता नहीं होना रहा है। महज अपील की पोषणीयता बाबत ही प्राथमिक आपति प्रार्थना पत्र व इसी विषय पर बहस समाअत हुई थी। विषय अतिरेक होने के कारण निर्णय दिनांक 06.11.2025 में अपील खारिजी के पश्चात् प्रदत यथास्थिति निर्देश निर्णय से विलोपित किये जाने योग्य हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2025 में गत खसरा नंबर 54 के हाल खसरा नंवर 562/69, 65, 67, 29 व 129 बने होना कतई अंकित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में यथास्थिति निर्देश के माध्यम से परिवर्तन, संशोधन करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः नजरसानी प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 06.11.2025 में निर्णय "उक्त अपील में प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति स्वीकार कर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है" के पश्चात् अंकित "परन्तु..... यथास्थिति बनाये रखेंगे।" विलोपित किये

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जावें। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के संदर्भ में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं:–

- AIR 1982 S.C. 1249 पैरा संख्या 6
- MLJ 2007 (6) पेज संख्या 47 पैरा संख्या 15
- AIR 1999 KERELA पेज संख्या 6 पैरा संख्या 6
- AIROnline 2018 SC 430

3– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवज व न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अभिभाषक प्रार्थी की प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। अभिभाषक प्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2025 में अंकित निर्देश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये है, को विलोपित करने का कथन किया है। उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों, न्यायिक दृष्टांत व अभिभाषक प्रार्थी की प्रार्थना पत्र बहस से न्यायालय सहमत है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 06.11.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए इस न्यायालय के निर्देश *"परंतु इस प्रकरण में गत खसरा नंबर 54 हाल खसरा नंबर 562/69, 65, 67, 29 व 129 बने है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 11.08.2025 जारी किये गये है। अतः उभय पक्षकारान से यह अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के संदर्भ में यथास्थिति बनाये रखेंगे"* को विलोपित किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2025 में पारित शेष आदेश यथावत रहेगा।

4– तदनुसार प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति मूल अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर